

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096
टेलिफोन. 28294725

सं.सीपज़-सेज़/इएमएस/एजीआर/10-11/पार्ट फाइल 110745


दिनांक. 10.07.2015

परिपत्र

यह देखने में आया है कि एसडीएफ I से VI तथा जी तथा जे कांप्लेक्स I,II,III सीपज़ - सेज़ में स्थित यूनिटों को बंबई स्टांप अधिनियम, 1958 में यथानिर्दिष्ट स्टांप इयूटी के भुगतान से छूट के लिए कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है। इस संबंध में कलेक्टर ऑफ स्टांप्स कार्यालय को निम्नानुसार सूचित करते हुए स्पष्टीकरण भेजा गया:-

“एमआइडीसी पट्टाकर्ता है तथा अध्यक्ष, सीपज़-सेज़ उप पट्टाकर्ता हैं। प्राधिकरण के एक सरकारी प्राधिकरण होने के कारण इसे बंबई स्टांप अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अधीन स्टांप इयूटी के भुगतान से छूट प्राप्त है। अतः उप पट्टा का इन्स्ट्रूमेंट किसी प्रकार के स्टांप इयूट के लेवी से मुक्त है।”

यूनिट जिन्हें इस मामले में कठिनाइयां हो रही हैं, सीपज़ सेज़ के सरकारी वेबसाइट अर्थात् www.seepz.org से स्पष्टीकरण डाउनलोड कर सकते हैं तथा इस मामले को सुलझाने के लिए कलेक्टर ऑफ स्टांप्स कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।



(वी.पी.शुक्ल)

संपदा प्रबंधक / उप विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

सेवा में,

जेम्स तथा ज्वैलरी कांप्लेक्स, I,II,III में स्थित सभी यूनिट
स्टैंडर्ड डिजाइन फैक्टरी एसडीएफ I से VI में स्थित सभी यूनिट

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096
टेलिफोन. 28294725

सं.सीपज़-सेज़/इएमएस/एजीआर/10-11/पार्ट फाइल

दिनांक. 10.07.2015

स्पष्टीकरण

यह देखने में आया है कि एसडीएफ I से VI तथा जी तथा जे कांप्लेक्स I,II,III सीपज़ - सेज़ में स्थित यूनितों को बंबई स्टांप अधिनियम, 1958 में यथानिर्दिष्ट स्टांप इयूटी के भुगतान से छूट के लिए कठिनाइयों का सामना पड़ रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

“एमआइडीसी पट्टाकर्ता है तथा अध्यक्ष, सीपज़-सेज़ उप पट्टाकर्ता हैं। प्राधिकरण के एक सरकारी प्राधिकरण होने के कारण इसे बंबई स्टांप अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अधीन स्टांप इयूटी के भुगतान से छूट प्राप्त है। अतः उप पट्टा का इन्स्ट्रूमेंट किसी प्रकार के स्टांप इयूट के लेवी से मुक्त है।”

कलेक्टर ऑफ स्टांप्स कार्यालय से अनुरोध है कि तदनुसार छूट प्रदान करें।



(वी.पी.शुक्ल)

संपदा प्रबंधक / उप विकास आयुक्त
सीपज़-सेज़ प्राधिकरण

सेवा में,

स्टांप अधीक्षक

स्टांप अधीक्षक का कार्यालय

पहला तल, एमएमआरडीए बिल्डिंग,

बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)

मुंबई - 400 051